प्रश्न 1. फॉर्म 26एएस क्या है?
उत्तर 1. फॉर्म 26एएस पैनधारकों को आयकर नियम के नियम 31 कख के अंतर्गत जारी एक समेकित कर विवरण है. वित्तीय वर्ष के संबंध में इस विवरण में निम्नलिखित ब्यौरे दिये जाते हैं:
क) स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस)
ख) स्रोत पर संगृहीत कर (टीसीएस), तथा
ग) करदाताओं (पैनधारकों) द्वारा बैंक में जमा किया गया अग्रिम कर / स्व-निर्धारण कर / नियमित निर्धारण कर आदि.
फॉर्म 26एएस वित्तीय वर्ष 2005-06 तथा इसके आगे के लिए ही तैयार किया जाएगा.

प्रश्न 2. मेरे फॉर्म 26एएस में सूचना कैसे रखी जाती है?
उत्तर 2. फॉर्म 26एएस (वार्षिक कर विवरण) निम्नलिखित रूप में तीन भागों में अर्थात् भाग क, ख और ग में विभाजित है :
भाग क आपको विशिष्ट प्रकार का भुगतान करने वाले हरेक व्यक्ति (कटौतीकर्ता) द्वारा स्रोत पर काटे गये कर का विवरण दर्शाता है. कटौतीकर्ता के विवरण (नाम व टैन) और साथ ही काटे गये कर के विवरण जैसे किस धारा के अंतर्गत ऐसी कटौती की गयी है (उदाहरणार्थ वेतन के लिए धारा 192), भुगतान करने की तारीख, अदा / जमा की गई राशि, भुगतान से काटे गये तथा बैंक में जमा किये गये कर की राशि इस भाग में शामिल की जाती है.
भाग ख विक्रेता द्वारा आपको विनिर्दिष्ट प्रकार के माल की बिक्री के समय स्रोत पर संगृहीत कर (टीसीएस) का ब्यौरा दर्शाता है. भाग क में प्रदर्शित विवरण की तरह ही विक्रेता तथा संग्रहण किये गये कर के संबंध में भी ब्यौरे उपलब्ध होंगे.
भाग ग आपके द्वारा सीधे अदा किये गये कर (जैसे अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर) के ब्यौरे तथा उन चालानों के ब्यौरे दर्शाता है जिनके माध्यम से आपने बैंक में यह कर जमा किया है.

प्रश्न 3. गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं के संबंध में टीडीएस / टीसीएस के ब्यौरे फॉर्म 26 एएस में कैसे दर्ज किये जाते हैं?
उत्तर 3. स्रोत पर कर काटने या संग्रहण करने वाली प्रत्येक गैर-सरकारी संस्था से यह अपेक्षित है कि वह किसी बैंक के माध्यम से सरकारी खाते में कर राशि जमा करे. बैंक भुगतान से संबंधित इस सूचना को टिन केन्द्रीय प्रणाली पर अपलोड करेंगे.

इन कटौतीकर्ताओं से यह भी अपेक्षित है कि वे अपने टीडीएस / टीसीएस का ब्यौरा देते हुए टिन को एक तिमाही विवरण भी प्रस्तुत करें.

टिन केन्द्रीय प्रणाली विवरण में कर भुगतान से संबंधित सूचना का बैंकों की कर प्राप्ति सूचना से मिलान करेगी. यदि इन दोनों का मिलान हो जाता है तब टिन हरेक पैनधारक के लिए एक व्यापक खाता-बही तैयार करेगा जिसमें विवरण फाइल करनेवाले प्रत्येक कटौतीकर्ता द्वारा उसकी ओर से काटे / संगृहीत किये गये कर के ब्यौरे शामिल होंगे.

प्रश्न 4. सरकारी कटौतीकर्ताओं के संबंध में टीडीएस / टीसीएस के ब्यौरे फॉर्म 26 एएस में कैसे दर्ज किये जाते हैं?
उत्तर 4. गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं के मामले की तरह ही सरकारी कटौतीकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे स्रोत पर कर काटकर / संगृहीत कर उसे सरकारी खाते में जमा करें. इस मामले में, तथापि, कर एक बैंक प्रविष्टि के माध्यम से सरकारी खाते में अंतरित किया जाता है, न कि बैंकों के माध्यम से जमा किया जाता है.

इन कटौतीकर्ताओं से यह भी अपेक्षित है कि टिन को इलेक्ट्रानिक रूप में टीडीएस / टीसीएस विवरण प्रस्तुत करें.

चूंकि बही प्रविष्टि अंतरण के जरिए टीडीएस / टीसीएस जमा के ब्यौरे अपलोड करने के लिए सरकारी लेखा अधिकारियों के लिए प्रणाली कार्यान्वयन के अधीन है, सरकारी कटौतियों के संबंध में टीडीएस / टीसीएस ब्यौरे वर्तमान में फार्म 26एएस में प्रविष्ट नहीं किये जाते हैं.

प्रश्न 5. करदाताओं द्वारा बैंकों में सीधे जमा किये गये आयकर के ब्यौरे फॉर्म 26एएस के भाग ग में कैसे दर्ज किये जाते हैं?
उत्तर 5. जब भी एक करदाता के रूप में आप अपना अग्रिम कर / स्व-निर्धारण कर सीधे बैंक में जमा करते हैं, बैंक चेक का समाशोधन हो जाने के तीन दिन बाद टिन केन्द्रीय प्रणाली पर इस सूचना को अपलोड करेगा. यह सूचना आपके फॉर्म 26 एएस के भाग ग में दर्ज की जाएगी.

प्रश्न 6. मेरे द्वारा अपने स्व-निर्धारण कर / अग्रिम कर का भुगतान करने पर मेरा फॉर्म 26 एएस अद्यतन कैसे होता है?
उत्तर 6. बैंक कर भुगतान चेकों की वसूली के बाद T+3 आधार पर टिन केन्द्रीय प्रणाली पर चालान के विवरण अपलोड करते हैं. टिन केन्द्रीय प्रणाली पर स्व-निर्धारण / अग्रिम कर के विवरण बैंक द्वारा अपलोड करने के बाद वह आपके फॉर्म 26एएस में इन विवरणों को प्रविष्ट करेगा.

प्रश्न 7. मेरे कटौतीकर्ता द्वारा मेरा कर काटने के बाद मेरे फॉर्म 26एएस को अद्यतन कैसे किया जाता है?
उत्तर 7. जब भी कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत टीडीएस / टीसीएस विवरण टिन केन्द्रीय प्रणाली पर अपलोड किये जाते हैं, विवरणों से चालान सूचना और बैंक अपलोडों से चालान सूचना का मिलान किया जाता है और फॉर्म 26एएस को अद्यतन किया जाता है. यह एक दैनिक क्रियाकलाप है.

आयकर अधिनियम के अनुसार, कटौतीकर्ताओं / संग्रहणकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक तिमाही में अपना टीडीएस / टीसीएस विवरण फाइल करें. इसका अर्थ यह है कि कटौतीकर्ताओं द्वारा तिमाही ई-टीडीएस / टीसीएस विवरण फाइल करने के लगभग 15 दिन के भीतर टीडीएस / टीसीएस प्रविष्टियां टिन वेबसाइट में उपलब्ध कर विवरण में दर्ज की जाएंगी.

प्रश्न 8. फॉर्म 26एएस मेरे लिए कैसे उपयोगी है?

उत्तर 8. कर विवरण में उपलब्ध जमा यह पुष्टि करता है कि :
क) कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता द्वारा काटी गयी / संग्रहण की गई कर राशि सरकार के खाते में जमा कर दी गयी है.
ख) कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता ने आपकी ओर से काटे गये / संग्रहण किये गये कर के ब्यौरे देते हुए टीडीएस / टीसीएस विवरण सही ढ़ग से फाइल किया है.
ग) बैंक ने आपके द्वारा जमा किये गये कर के ब्यौरे उचित रूप से प्रस्तुत किये हैं.

भविष्य में आप अपनी आयकर विवरणी के साथ इस समेकित कर विवरण (फॉर्म 26एएस ) को आपकी ओर से काटे गये / संग्रहण किये गये कर और आपके द्वारा सीधे अदा किये गये कर के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि अब आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा आयकर विवरणी के साथ टीडीएस / टीसीएस प्रमाणपत्र तथा कर भुगतान चालान प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है.

तथापि, आज की तारीख में स्रोत पर काटे गये / संगृहीत किये गये कर के लिए जमा का दावा करने के लिए आपको कटौतीकर्ता द्वारा आपको जारी किये गये टीडीएस / टीसीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16 / 16ए) संलग्न करना जरूरी है.

प्रश्न 9. यदि मेरे कटौतीकर्ता द्वारा फाइल किये गये टीडीएस / टीसीएस विवरण में मेरे पैन का सही ढ़ग से उल्लेख नहीं किया गया है तो क्या होगा?
उत्तर 9. ऐसे मामले में, टीडीएस / टीसीएस के ब्यौरे आपके फॉर्म 26एएस में प्रविष्ट नहीं किये जा सकेंगे. अत: यह जरूरी है कि आप आपकी ओर से कर काटने वाली / संग्रहण करनेवाली सभी संस्थाओं को अपना पैन नंबर दें.

प्रश्न 10. यदि मैंने अपना अग्रिम / स्व-निर्धारण कर जमा करने के लिए प्रयुक्त कर भुगतान चालान में अपना पैन नंबर नहीं दिया है तो क्या होगा?
उत्तर 10. ऐसे मामलों में, कर भुगतान ब्यौरे फॉर्म 26एएस में दर्ज नहीं हो पाएंगे. अत: आपके लिए यह जरूरी है कि अपने कर भुगतान चालान में अपने पैन का ठीक ढंग से उल्लेख करें.

प्रश्न 11. फॉर्म 26एएस में दिये गये मेरे नाम तथा पता जैसी सूचनाओं का स्रोत क्या है?
उत्तर 11. आपके पैन से संबंधित वार्षिक कर विवरण में नाम व पता आयकर विभाग (आईटीडी) पैन डेटाबेस से लिया जाता है.

यदि आईटीडी के पास उपलब्ध पैन डेटाबेस में यह पता आपका वर्तमान पता नहीं है तो प्रत्येक वर्ष प्रिंट कर आपको भेजा जाने वाला आयकर विवरण आपके पास नहीं पहुंच पाएगा.

यदि आप पैन डेटाबेस में अपने नाम व पते को अद्यतन करना चाहते हैं तो आप ‘नये पैन कार्ड या / पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन हेतु अनुरोध‘ का इस्तेमाल करते हुए आवेदन कर उसे ठीक करवा सकते हैं. यह अनुरोध या तो ऑनलाइन या टिन - एफसी के मौजूदा नेटवर्क के जरिए किया जा सकता है. इसके विवरण टिन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

प्रश्न 12. कोई कटौतीकर्ता स्वयं द्वारा प्रस्तुत टीडीएस / टीसीएस विवरण की स्थिति का सत्यापन कैसे कर सकता है?
उत्तर 12. कटौतीकर्ता स्वयं द्वारा अपलोड किये गये टीडीएस / टीसीएस विवरण की अपलोड तथा बुकिंग दोनों स्थिति का सत्यापन करने के लिए टिन वेबसाइट पर उपलब्ध टैन अवलोकन सुविधा का प्रयोग कर सकता है.

प्रश्न 13. ऐसी कौन-सी स्थितियां हैं जिनके अंतर्गत बैंक में प्रदत्त अग्रिम कर / स्व-निर्धारण कर फॉर्म 26एएस के भाग ग में प्रदर्शित न हो पाता है?
उत्तर 13. ऐसा निम्नलिखित के कारण हो सकता है :
क) पैन भुगतान चालान में आपके पैन नंबर का सही ढंग से उल्लेख नहीं किया गया है या
ख) बैंक ने चालान डाटा को डिजिटिंग करते समय पैन नंबर को दर्ज करने में कोई त्रुटि की है या
ग) बैंक  टिन केन्द्रीय प्रणाली पर डिजिटाइज्ड सूचना अपलोड नहीं कर सका है.

आप यह सत्यापित करने के लिए टिन वेबसाइट में दी गई चालान स्थिति जांच सुविधा का उपयोग कर सकते हैं कि क्या आपके पास उपलब्ध प्रतिपर्ण में दी गई चालान पहचान संख्या (सिन) से युक्त चालान को टिन केन्द्रीय प्रणाली पर अपलोड किया गया है. यदि अपलोड किये गये इस डेटा में दिखाई देने वाला पैन आपका पैन नहीं है तो आप पैन को ठीक  करवाने के लिए अपने कर निर्धारण अधिकारी के साथ मामला उठा सकते हैं.

यदि बैंक ने आपके कर जमा से संबंधित ब्यौरे अपलोड नहीं किये हैं तो आप अपने बैंक के साथ मामला उठा सकते हैं ताकि इस सूचना को अपलोड किया जा सके.

प्रश्न 14. यदि बैंक में प्रदत्त अग्रिम / स्व-निर्धारण कर की राशि फॉर्म 26एएस  के भाग ग में गलत ढंग से दर्शायी गयी है तो क्या होगा?
उत्तर 14. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बैंक ने आंकड़ों की प्रविष्टि में त्रुटि की है. आपको राशि को ठीक करवाने के लिए अपने बैंक के साथ मामला उठाना चाहिए.

प्रश्न 15. यदि बैंक में प्रदत्त अग्रिम / स्व-निर्धारण कर की चालान पहचान संख्या (सिन) (जैसाकि फॉर्म 26एएस के भाग ग में दी गयी है) हमारे पास उपलब्ध चालान प्रतिपर्ण में सिन से नहीं मिलती है तो क्या होगा?
उत्तर 15. आप उस सिन का उल्लेख करें जो आपकी कर विवरणी में फॉर्म 26एएस में उल्लिखित है.

प्रश्न 16. मेरे कर विवरण के भाग क / ख में गलत जमा राशि दिखाई देने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं?
उत्तर 16.  फॉर्म 26एएस में गलत राशि के संभावित कारण कटौतीकर्ता द्वारा तिमाही टीडीएस / टीसीएस विवरण में दिये गये गलत आंकड़े हो सकते हैं. आप कटौतीकर्ता से अनुरोध कर सकते हैं कि वे निर्धारित संशोधन विवरण का प्रयोग करते हुए टीडीएस / टीसीएस विवरण को सुधारें.

प्रश्न 17. मेरे फॉर्म 26एएस के भाग क / ख में जमा न होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं?

उत्तर 17. आपके फॉर्म 26एएस में जमा न दिखाई देने के संभावित कारण निम्नलिखित हो सकते हैं:
क. कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता ने अपना टीडीएस / टीसीएस विवरण फाइल नहीं किया है,
ख. आपने कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता को पैन नहीं दिया है,
ग. आपने कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता को गलत पैन दिया है.
घ. कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता ने टीडीएस / टीसीएस विवरणी में आपका पैन लिखने में त्रुटि की है,
ड़. कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता ने आपका पैन नहीं लिखा है,
च. जिस चालान से आपका टीडीएस / टीसीएस जमा किया गया था उस चालान के ब्यौरे कटौतीकर्ता द्वारा विवरण में गलत ढ़ंग से लिखे गये थे या बैंक द्वारा अपलोड किये गये चालान ब्यौरे में गलत ढ़ग से लिखे गये थे.

इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए आप कटौतीकर्ता से निम्नलिखित के लिए अनुरोध कर सकते हैं :

1. टीडीएस / टीसीएस विवरण फाइल करना, यदि फाइल न किया गया हो,
2. पैन संशोधन विवरण का प्रयोग करते हुए अपलोड किये जा चुके टीडीएस / टीसीएस विवरण में पैन को ठीक करना, यदि उससे पैन लिखने में त्रुटि हुई हो,
3. संशोधन विवरण प्रस्तुत करना, यदि कटौतीकर्ता ने टीडीएस / टीसीएस विवरण फाइल किया है और आपका ब्यौरा देने में चूक हो गयी हो अथवा आपने टीडीएस / टीसीएस विवरणी फाइल किये जाने से पहले उसे अपना पैन नहीं दिया हो,
4. संशोधन विवरण प्रस्तुत करना, यदि कटौतीकर्ता ने ऐसा टीडीएस / टीसीएस विवरण फाइल किया है जिसके चालान ब्यौरे में गलतियां हैं,
5. बैंक द्वारा अपलोड किये गये चालान ब्यौरे में राशि में किसी गलती को ठीक करने के लिए बैंक के साथ मामला उठाना.

प्रश्न 18. यदि मेरे फॉर्म 26एएस में ऐसी प्रविष्टियां हैं जो मुझसे संबंधित नहीं है तो ऐसे मामले में मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर 18. यदि यह टीडीएस / टीसीएस जमा के बाबत है तो आप इसे कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता को सूचित करें. यदि यह अग्रिम कर / स्व-निर्धारण कर के बाबत है तो आप अपने कर-निर्धारिती अधिकारी को सूचित करें.

प्रश्न 19. क्या फॉर्म 26 एएस में ऋणात्मक ('-') प्रविष्टियां दिखाई दे सकती हैं?
उत्तर 19 यदि टीडीएस / टीसीएस विवरण में या बैंक द्वारा अपलोड किये गये चालान ब्यौरे में कोई त्रुटि है और उसे सुधारा गया है तो मूल जमा प्रविष्टि को फॉर्म 26एएस में एक नामे प्रविष्टि द्वारा उलटा जाएगा तथा नई जमा प्रविष्टि (यदि लागू है) की जाएगी.

प्रश्न 20. क्या फॉर्म 26एएस में प्रदर्शित पैनधारक के नाम व पते में परिवर्तन किये जा सकते हैं?
उत्तर 20. यदि पैनधारक के ब्यौरे गलत हैं तो 'नये पैन कार्ड या / और पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन हेतु अनुरोध' का इस्तेमाल करते हुए आवेदन करके उसे अद्यतन किया जा सकता है. यह अनुरोध या तो ऑनलाइन या टिन - एफसी के मौजूदा नेटवर्क के जरिए किया जा सकता है. टिन - एफसी में ब्यौरे उपलब्ध हैं.

प्रश्न 21. बैंक  के कटौतीकर्ता द्वारा किसी स्पष्टीकरण का समाधान न किये जाने की स्थिति में पैनधारक किसे संपर्क कर सकता है?

उत्तर 21. पैनधारक टिन कॉल सेंटर, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
तीसरी मंजिल, सफॉयर चैम्बर्स,बानेर टेलीफोन एक्सचेंज के पास,बानेर, पुणे - 411 045
टेली : 020 - 2721 8080, फैक्स : 020 - 2721 8081, ई-मेल : tininfo@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं.